(क) क्या यह सच है कि बाल श्रम उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में ऐसे जिलों की पहचान की है जिनमें सर्वाधिक संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने और उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) 1981 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय बाल श्रम उन्सून प्राधिकरण ने देश में सर्वादिक बाल श्रम की बहुलता वाले 100 जिलों की पहचान की है जिनमें उत्तर प्रदेश के 1 जिलें अर्थात् देवरिया, आजमगढ़ , मिर्जापुर और बस्ती शामिल है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोपजना संबंधी योजना के अंतर्गत, मिर्जापुर जिले के लिए एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गयी है। जबकि सरकार अन्य जिलों में परियोजना का विस्तार करने पर विचार कर रही थी, उच्चतम न्यायलय ने दिनांक 10.12.96 के अपने निर्णय में जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों को कार्य से हटाने जाने और पुनर्वासित किए जाने की विधि तथा गैर-जोकिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों की कार्य परिस्थितियों की विनियमित किये जाने तथा उन्हें बेहतर बनाए जाने की विधि के बारे में अनेक दिशा-निर्देश जारी कर दिये। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं।

Labour based Technology for removing unemployment

247. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to State:

(a) whether Government propose to encourage labour based technology for removing unemployment;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) and (c) The approach to the Ninth Plan envisages priority to agriculture and rural development with a view to generating adequate productive employment and eradication of poverty. Greater productive employment will be generated in the growth process itself by concentrating on sectors, sub-sectors and technologies which arc labour intensive, in regions characterised by higher rates of unemployment and underemployment.

Schemes to provide training in North Eastern States

248. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to State:

(a) the details of the schemes launched to provide Training to the labourers of the unorganised sector in the North Eastern States during the last three years, Statewise;

(b) whether Government propose to set up more training institutes in these States during the Ninth Plan period;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the funds earmarked for 1997-98 for the purpose?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) Scheme on Training of Rural Youth for Self Employment (TRYSEM) is an important centrally assisted scheme in this category. It is being implemented in all the states including North-Eastern states. This scheme aims at providing basic technical and managerial skills to the rural youth from families below the poverty line to enable them to take up self employment and wage employment in the fields of agriculture and allied sectors, industries, services and business activities. The State Governments implement the scheme through District Rural Development Agencies (DRDAs). Central assistance to states is on 50:50 basis. The statement showing statewise targets and achievements during the last three years for North-Eastern States is attached *(See below).*

Details of other schemes are being collected.

(b) to (d) During the Ninth Plan period, 800 Exclusive TRYSEM Training Centres (ETTCs) are proposed to be set up in the entire country including North-Eastern States. The Central Govt, would provide Rs. 20.00 lakh or 80% of the project cost whichever is less for each ETTC for meeting the non-recurring cost. A sum of Rs. 14.00 crores has been earmarked for the year 1997-98 for the entire country including North-Eastern states.

Statement

Physical performance (in numbers)

No. States/UTs.	1904-95		1995-%		1996-97	
	Targets	Achievement	Targets	Achieveme		Targets
1. Arunachal	1829	672	1000	1277		1200
2. Assam	8050	9249	9000	10317		9000
3. Manipur	1319	1397	717	117	717	362
4. Meghalaya	1401	50	791	292	0	352
S. Mizoram	592	847	770	692		1200
6. Nagaland	985	977	617	227	720	486
7. Tripura	1881	2680	2500	3838		2000

Financial Performance (in lakhs)

	1994-95		1995-96		1996-97	
	Allocation	Achievements	Allocation	Achievements	Allocation	Achievements
1. Arunachal Pradesh	51.22	16.47	51.22	39.16	51.22	24.87
2. Assam	225.4	214.05	225.4	237.83	225.4	152.08
3. Manipur	36.94	23.141	36.94	15.91	36.94	14.792
4. Meghalaya	39.24	16.8	39.24	10.97	39.24	27.26
5. Mizoram	16.58	25.773	16.58	35.517	16.58	7.892
6. Nagaland	27.58	69.03	27.58	83.05	27.58	15.05
7. Tripura	52.68	55.248	52.68	60.25	52.68	52.65

बाल श्रम कानूनों की प्रभावोत्पादकगता

249. **श्री रामगोपाल यादव**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मौजूदा बाल श्रम कानूनों को अधिक प्रभावोत्पादी बनाने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ऐसे कानूनों के अधिनियम और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम जिसमें बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन की परिकल्पना की गयी है और उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिक संख्या 465/1986 मे दिनांक 10.12.96 के अपने निर्णय में दिए गए निदेशों के कारण बाल श्रम (प्रतिवेध एंव चिनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता महसूस की गयी थी। 7-8 जुलाई, 1997 को आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मलन में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था। सम्मेलन में इस आधिनियम को और अदिक प्रभावी बनाये जाने के लिए कतिपय सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों में इन्हें शामिल किया गया था कि अपराध को एक संज्ञेय बनाया जाए, शास्तियों को और अधिक कठोर निवारक बनाया जाए तथा बच्चे की आयु के प्रमाण का दायित्व नियोजक पर डाला जाए। संशोधन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिये जाते समय इन सुझों को ध्यान में रखा जा रहा है।